न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/02/2014	07–07–2014	04/06/2019

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर। –प्रार्थी

बनाम

1–नत्थूराम पुत्र बिडदीचन्द जाति ब्राहमण।
2–रतिराम पुत्र बिडदीचन्द जाति ब्राहमण।
3–रविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण।
4–कविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण।
5–बसन्तकुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण।
6–सीताराम पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासीयान ढ़ाणी सोहन की तन लाडपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान। –अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका – राजकीय अधिवक्ता –वकील प्रार्थी
02. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अप्रार्थी

——:: **निर्णय** ::——

तहसीलदार बानसूर ने यह रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 साबिक खसरा नम्बर 410 रकबा 18 बिस्वा पूर्व साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 18 बिस्वा वाके मौजा लाडपुर तहसील बानसूर है जो भूमि कभी भी अप्रार्थीगण की नहीं रही जैसा कि राजस्व रिकार्ड 2011 लगा0 2059 से स्पष्ट है। इस भूमि पर मौके पर कदीम से गैरमुमकिन जौहड़ रहा है जैसा कि मिसल बन्दोबस्त 2021 व उससे आगे की जमाबन्दीयों से साबित होता है। तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.09.1992 से भी यह स्पष्ट है कि इस रकबे पर अप्रार्थीगण अतिक्रमण कर नाजायज रूप से काश्त कर रहे थे। मौके पर इनके द्वारा कोई गुवाड़े नहीं बनाये गये है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 08.02.2011 से भी पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 532 गैरमुमकिन जौहड है। किन्तु तत्कालीन गिरदावर व पटवारी ने तत्कालीन तहसीलदार बानसूर के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की है वह खिलाफ मौका कब्जा पेश की गई है। जबकि यह भूमि गैरमुमकिन जौहड़ सिवायचक भूमि है। जिसमें गैरमुमकिन जौहड मौके पर कायम रहा है। जिस पर अप्रार्थीगण अतिक्रमी के रूप में काश्त कर रहे है। तत्कालीन तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 05.01.1983 को जो निर्णय किया गया है वह मनमाना एवं विधि विरूद्ध है जो निरस्त फरमाये जाने के योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 वाके मौजा लाडपुर तहसील बानसूर कदीमी गैरमुमकिन जौहड भूमि है जो सार्वजनिक हित में उपयोग–उपभोग होती रही है तथा जिसमें पालतू व जंगली पशु पानी पीते है तथा मौके पर आज भी अप्रार्थीगण के कोई कच्चे, मक्के मकानात् नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काश्त की जा रही है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया निर्णय व जारी किये गये पट्टे निरस्त योग्य है। मुताबिक कानून के भी गैरमुमकिन जौहड़, नदी, नाले

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

आदि की भूमि को किसी प्रयोजन के लिए आवंटन करना कानूनन गलत है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 साबिक खसरा नम्बर 410 रकबा 18 बिस्वा पूर्व साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 18 बिस्वा वाके मौजा लाडपुर तहसील बानसूर जो कि गैरमुमकिन जौहड़ सिवायचक भूमि है जिसका सार्वजनिक हित में उपयोग होता रहा है। उस बाबत तहसीलदार बानसूर का फैसला दिनांक 05.01.1983 व उसके आधार पर जारी किये गये पट्टे रैस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व मृतक मदनलाल पुत्र बिडदीचन्द को जारी किया गया को निरस्त किया जाकर रैफरेंस स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स प्रकरण मे अंकित बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के पट्टे तत्कालीन तहसीलदार बानसूर द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर दिनांक 05.01.1983 को जारी किया गया। सम्वत् 2020 से पूर्व विवादित भूमि की किस्म बंजड थी। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 05.01.1983 को पट्टा जारी किया गया। जबकि हाल तहसीलदार द्वारा रैफरेंस वर्ष 2014 में लगभग 31 साल बाद दायर किया गया है। विलम्ब से किया गया रैफरेंस नामंजूर किया जावें। तहसीलदार द्वारा ही पट्टे जारी किये गये है व स्वंय तहसीलदार ही रैफरेंस कर रहा है जो कानूनन गलत है। प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः रैफरेन्स खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने जवाब के समर्थन में 1995(1) आरएलआर 555, 2006 आरआरडी पेज 163, 2013 आरआरडी पेज 486, 2000(1) आरएलडब्ल्यू पेज 78 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। हाल जमाबन्दी 2068-2071 में खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 गैरमुमकिन जौहड़ दर्ज है, जमाबन्दी संवत् 2021 में खसरा नम्बर 410 रकबा 18 बिस्वा गैरमुमकिन जौहड़ दर्ज है, जमाबन्दी संवत् 2060 में खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 गैरमुमकिन जौहड़ दर्ज है। तत्कालीन तहसीलदार बानसूर द्वारा किया गया विनियमन निर्णय दिनांक 05.01.1983 विधि विरूद्ध किया गया है तथा उक्त निर्णय के आधार पर जारी किये गये पट्टे भी विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये गये है। वकील अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय का कोई भी आदेश या स्थगन पेश नहीं किया गया है। पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जो तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 06.03.2012 के द्वारा पट्टे निरस्त कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश जारी किये गये है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 है0 वाके मौजा लाडपुर तहसील बानसूर जिला अलवर जिसके साबिक खसरा नम्बर 410 रकबा 18 बिस्वा पूर्व साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 18 बिस्वा वाके मौजा लाडपुर तहसील बानसूर की बाबत तहसीलदार बानसूर द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 05.01.1983 तथा उसके आधार पर जारी किये गये पट्टो को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बानसूर द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 06.03.2012 यथावत रखने की अभिशंसा के साथ माननीय निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवतसिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)